

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।  
ग्राम-डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com,

दूरभाष: 0135-2608763, फ़ैक्स: 0135-2608746

पत्रांक:-2प/रा0पु0/70/2023/36218

दिनांक 10 नवम्बर, 2023

**विज्ञप्ति**

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड में माह के प्रथम एवं चतुर्थ मंगलवार को वॉक-इन इन्टरव्यू के माध्यम से जनपद हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल एवं देहरादून की विभिन्न चिकित्सा इकाईयों हेतु संविदा के आधार पर विशेषज्ञ/सामान्य चिकित्सकों को रिक्तियों की उपलब्धता के सापेक्ष चयन किया जायेगा। इच्छुक चिकित्सक माह के प्रथम एवं चतुर्थ मंगलवार को विभागीय वेबसाईट health.uk.gov.in पर दिये गये विवरण में अंकित अभिलेखों के साथ स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के कक्ष संख्या-50 में सम्पर्क कर सकते हैं।

*Bab*  
*10.11.23*

महानिदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

पू0प0सं0:-2प/रा0पु0/70/2023/

तद्दिनांकित।

**प्रतिलिपि:-**

1- आई0ई0सी0 अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति को राज्य में व्यापक प्रचार-प्रसार वाले कम से कम दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

2- नोडल अधिकारी, आई0टी0 सैल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

महानिदेशक

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

प्रेषक,

नितेश कुमार झा,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 13 दिसम्बर, 2018

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य में संविदा पर कार्यरत एलोपैथिक चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2प/रा0पु0/41/2016/10838, दिनांक 10 मई, 2018 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न राजकीय चिकित्सालयों में संविदा के आधार पर, तैनात एलोपैथिक चिकित्सकों के मानदेय में निम्नानुसार वृद्धि किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

क्र०	चिकित्सक	देय मानदेय प्रतिमाह
1.	मंगलवार को वॉक-इन-इन्टरव्यू के माध्यम से तैनात किये जाने वाले चिकित्सक, जो राजकीय/केन्द्रीय सेवा में न रहे हों।	नियमित चिकित्साधिकारी यथा एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारक /विशेषज्ञ/पी0जी0/डिप्लोमाधारक चिकित्सक, को प्रथम नियुक्ति पर मिलने वाले वेतन (जिसमें भत्ते एवं एन0पी0ए0 सम्मिलित नहीं हैं) के बराबर एकमुश्त धनराशि।
2.	पी0एम0एच0एस0 संवर्ग से सेवानिवृत्त अथवा किसी भी राज्य/केन्द्र सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त चिकित्सक।	अंतिम आहरित वेतन से सकल पेंशन की धनराशि (राशिकरण से पूर्व) को घटाकर प्राप्त शुद्ध धनराशि के बराबर मानदेय।

3:- यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

4:- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 पत्र संख्या:-846/XXVIII(7)/2018, दिनांक 10 दिसम्बर, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(नितेश कुमार झा)  
सचिव।

3522  
JD(A)

संख्या:- 1856 / XXVIII-2 / 01(184)2001, तददिनांक

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
5. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, लक्ष्मी रोड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन।
8. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मुकेश कुमार राय)  
उपसचिव

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम-डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0-गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई-मेल: dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाष: 0135-2608763, फैक्स: 0135-2608746

पत्र संख्या:- 2प/रा0पु0/41/2016/ 3006 देहरादून: दिनांक-19 / 12 / 2018

महानिदेशालय के पत्र संख्या-2प/रा0पु0/41/2016 दिनांक-10/05/2018 के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या:1856/XXVIII-2/01(184)2001 दिनांक-13 दिसम्बर 2018 की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी / कुमाँऊ मण्डल नैनीताल।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (पुरुष / महिला / बेस / संयुक्त चिकित्सालय), उत्तराखण्ड।
4. समस्त वरिष्ठ / मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. गार्ड फाइल।

(अर्जुन सिंह सैंगर)  
संयुक्त निदेशक(प्रशासन)



## विवरण

इच्छुक अभ्यर्थी वॉक-इन इन्टरव्यू के समय निम्न अभिलेख (मूल प्रति एवं छायाप्रति) साथ उपस्थित  
होयें।

1. निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र (संलग्न-1)
2. दो पासपोर्ट साईज फोटो
3. बैंक ड्राफ्ट रू0 80.00 जो कि महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड देहरादून  
के नाम हो
4. जाति प्रमाण पत्र
5. आयु प्रमाण पत्र (10वी0 की मार्कशीट)
6. मूल निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए)।
7. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएड)
8. एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0 की अंकतालिका/डिग्री।
9. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
10. चरित्र प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा प्रदत्त।  
अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)


मानदेय:- शासनादेश संख्या-1856/XXVIII-2/2018-01(184)/2001 दिनांक 13 दिसम्बर, 2018 के अनुसार  
देय होगा। (संलग्न-2)

आयु सीमा वॉक-इन इन्टरव्यू की तिथि को अधिकतम 64 वर्ष हो।

*Bak*  
*10.11.23*  
महानिदेशक  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,  
उत्तराखण्ड देहरादून।

## आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अभ्यर्थी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. जन्म तिथि .....
4. शैक्षिक योग्यता .....
5. क्या आप सेवानिवृत्त चिकित्सक हैं।
6. यदि हां तो किस राज्य व किस विभाग .....
7. कार्य का अनुभव .....
8. स्थाई पता .....
9. पत्राचार का पता—.....
10. मोबाइल न0— ..... ई-मेल.....
11. बैंक ड्राफ्ट का विवरण— बैंक का नाम..... ड्राफ्ट संख्या.....  
दिनांक.....धनराशि रू0..... ।



संलग्नकों की संख्या:—

1. जाति प्रमाण पत्र
2. आयु प्रमाण पत्र (10वी0 की मार्कशीट)
3. मूल निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के लिए)।
4. शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र (हाईस्कूल/इण्टरमीडिएड)
5. एम0बी0बी0एस0/एम0डी0/एम0एस0 की अंकतालिका/डिग्री।
6. उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण प्रमाण पत्र।
7. चरित्र प्रमाण पत्र (राजपत्रित अधिकारी) द्वारा प्रदत्त।
8. अनुभव प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)

मैं सत्यनिष्ठ से पूर्वक घोषणा करता/करती हूं कि:—

1. मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सभी सूचनायें सत्य हैं। यदि इसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाये, तो मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाये।
2. मैं शासनादेश संख्या-322/XXVIII-2-2005-277/2002, दिनांक-01.04.2005 द्वारा मैदानी/सुगम क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र एवं अतिदुर्गम क्षेत्र में निर्धारित वर्गीकरण की शर्तों पर संविदा के आधार पर सेवा करने को तैयार हूं।
3. मेरे चयन होने की स्थिति पर मेरे द्वारा किसी भी स्तर पर संविदा पर की गयी सेवा संबंधी लाभ का दावा नहीं प्रस्तुत किया जायेगा। तथा अनुबन्ध में जो भी अन्य शर्तें होगी उनका अनिवार्यता पालन करूंगा/करूगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर  
दिनांक

जो लागू न हो उसे काट दें।